

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या..... 221/2021

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
	21/6/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप० पत्रावली करते..... दिनांक..... पेश हो।	
	19/7/24	पत्रावली पेश। वकील पार्थी व पार्थी उपस्थित। पार्थी ने अपना मूलकांड विद्वा पार्थीना पत्र पेश कर खारिज करवा लिया है। अतः प्रा. पत्र अन्वार्ड निषेधावा को आगे चलाने का कोई औचित्य शेष नहीं है। पार्थीना पत्र अन्वार्ड निषेधावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्जन से कम है दाखिल इफ्तार रहे।	

(अमन जागिंड)

सुलता

G. B. Buse  
Buse

उपखण्ड अधिकारी  
फागी जिला-बूढ़